"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 71] रायपुर, बुधवार, दिनांक 5 फरवरी 2014— माघ 16, शक 1935

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, बुधवार, दिनांक 5 फरवरी , 2014 (माघ 16, 1935)

क्रमांक-1661/वि. स./विधान/2014 . — छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 3 सन् 2014) जो बुधवार, दिनांक 5 फरवरी, 2014 को पुरःस्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
प्रमुख सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 3 सन् 2014)

छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) (संशोधन) विधेयक, 2014

छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) अधिनियम, 1967 (क्र. 29 सन् 1967) को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1\. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) (संशोधन) अधिनियम, 2014 कहलाएगा.

(2) यह राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

छत्तीसगढ़ अधिनियम क्रमांक 29 सन् 1967 की धारा 2 द्वारा यथा प्रतिस्थापित मूलभूत नियम (फंडामेंटल रूल्स) के नियम 56 का संशोधन.

2\. छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) अधिनियम, 1967 (क्र. 29 सन् 1967) की धारा 2 द्वारा यथा प्रतिस्थापित मूलभूत नियम के नियम 56 में, निम्नलिखित संशोधन निगमित किया जाये, अर्थात् :-

(एक) उप-नियम (1) में, शब्द, अंक, कोष्ठक, हायफन तथा विरामचिन्ह (1-क), (1-ख) एवं (1-ग) को विलोपित किया जाए.

(दो) उप-नियम (1) में, जहां कहीं भी शब्द "साठ" आया हो, के स्थान पर शब्द "बासठ" प्रतिस्थापित किया जाए.

(तीन) उप-नियम (1-क), (1-ख) एवं (1-ग) को विलोपित किया जाए.

निरसन.

3\. छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (क्रमांक 2 सन् 2013) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है.

उद्देश्यों एवं कारणों का कथन

प्रदेश में वरिष्ठ एवं अनुभवी कर्मचारियों की कमी है. जिसके फलस्वरूप राज्य के कार्यालयों में सक्षम कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने में असुविधा हो रही है. अतएव, यह विनिश्चय किया गया है कि ऐसे कर्मचारी, जिनकी सेवानिवृत्ति आयु अब 60 वर्ष है, की अधिवार्षिकी आयु में वृद्धि करते हुए आयु को 62 वर्ष करने हेतु छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) अधिनियम, 1967 (क्रमांक 29 सन् 1967) में और संशोधन किया जाए.

2\. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर
दिनांक 26-1-2014

डॉ. रमन सिंह
मुख्यमंत्री,
(भारसाधक सदस्य)

(कंडिका-7 के अनुसार)
(वे परिस्थितियां जिनके कारण अध्यादेश द्वारा तुरन्त विधान बनाना आवश्यक हो गया)

राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में 60 वर्ष में सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवकों की अधिवार्षिकी आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष करने हेतु छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी -आयु) अधिनियम, 1967 में संशोधन करना आवश्यक था. तत्समय विधान सभा का सत्र चालू नहीं था. अत: मंत्रि-परिषद् के आदेश दिनांक 20 अगस्त, 2013 के अनुपालन में छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) (संशोधन) अध्यादेश 2013 (क्रमांक 2 सन् 2013) माननीय राज्यपाल महोदय की अनुमति से प्राख्यापित किया जाकर उक्त अध्यादेश दिनांक 31 अगस्त, 2013 से प्रभावशील किया गया है.

2. अब उक्त अध्यादेश के स्थान पर छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक .... सन् 2014) पुर:स्थापित किया जाना है.

3. अतएव विधेयक प्रस्तुत है.

उपाबंध

छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) अधिनियम, 1967 (क्रमांक 29 सन् 1967) में संशोधन हेतु संबंधित धाराओं का सुसंगत उद्धरण

धारा 2 - मूलभूत नियम में संशोधन

* *

56 अधिवार्षिकी आयु -

(1) उप-नियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उप-नियम (1-क), (1-ख), (1-ग), (1-घ), (1-ङ) एवं (1-च) में उल्लिखित शासकीय सेवक से भिन्न प्रत्येक शासकीय सेवक उस मास के, जिसमें कि वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ले, अन्तिम दिन के अपरान्ह में सेवानिवृत्त हो जाएगा :

परन्तु उपरोक्त वर्णित शासकीय सेवक जिसकी जन्मतिथि किसी मास की पहली तारीख हो, साठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर, पूर्ववर्ती मास के अन्तिम दिन के अपरान्ह में, सेवानिवृत्त हो जाएगा."

(1-क) उप-नियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उप-नियम (1-घ) एवं (1-ङ) में उल्लिखित शासकीय शिक्षक से भिन्न प्रत्येक शासकीय शिक्षक, उस मास के, जिसमें कि वह बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ले, अन्तिम दिन के अपरान्ह में, सेवानिवृत्त हो जाएगा :

परन्तु उपरोक्त वर्णित शासकीय शिक्षक जिसकी जन्मतिथि किसी मास की पहली तारीख हो, बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर, पूर्ववर्ती मास के अन्तिम दिन के अपरान्ह में, सेवानिवृत्त हो जाएगा.

स्पष्टीकरण- इस उप-नियम के प्रयोजन के लिए, "शासकीय शिक्षक" से अभिप्रेत है, उप-नियम (1-घ) एवं (1-ङ) में उल्लिखित शासकीय शिक्षक से भिन्न ऐसा कोई शासकीय शिक्षक, चाहे वह किसी भी पदनाम से जाना जाता हो, जो किसी शासकीय शिक्षण संस्था में अध्यापन के प्रयोजनार्थ, ऐसी नियुक्ति को लागू भर्ती नियमों के अनुसार नियुक्त किया गया हो और उसमें ऐसा शिक्षक भी सम्मिलित होगा, जो, किसी प्रशासनिक पद पर पदोन्नति द्वारा या अन्यथा नियुक्त किया गया हो और जो बीस वर्ष से अन्यून अध्यापन कार्य में लगा रहा हो बशर्ते कि वह संबंधित शासकीय शिक्षण संस्था में किसी पद पर धारणाधिकार रखता हो."

(1-ख) उप-नियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, प्रत्येक चतुर्थ वर्ग का शासकीय सेवक उस मास के, जिसमें कि वह बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ले, अंतिम दिन के अपरान्ह में सेवानिवृत्त हो जाएगा :

परन्तु कोई चतुर्थ वर्ग का शासकीय सेवक, जिसकी जन्म तिथि किसी मास की पहली तारीख हो, पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन के अपरान्ह में बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवानिवृत्त हो जाएगा.

(1-ग) (क) उप नियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, छत्तीसगढ़ पशु चिकित्सा (राजपत्रित) सेवा का प्रत्येक सदस्य, जो छत्तीसगढ़ पशु चिकित्सा सेवा (राजपत्रित) भर्ती नियम, 1966 की अनुसूची-एक में उल्लिखित किसी 'पशु चिकित्सा' पद पर नियुक्त हुआ हो, वह सेवा से उस मास के अंतिम दिन के अपरान्ह में सेवानिवृत्त हो जाएगा, जिसमें वह बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लें.

परन्तु उपरोक्त वर्णित नियम का उपरोक्त वर्णित सदस्य जिसकी जन्मतिथि किसी मास की पहली तारीख हो, पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन के अपरान्ह में बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवानिवृत्त हो जाएगा.

स्पष्टीकरण- इस उप-नियम के प्रयोजन के लिए "छत्तीसगढ़ पशु चिकित्सा सेवा (राजपत्रित) के किसी सदस्य" से अभिप्रेत है, ऐसा शासकीय सेवक चाहे वह किसी भी पदनाम से जाना जाता हो, जो पशु चिकित्सा अधिकारी या विशेषज्ञ के रूप में, ऐसी नियुक्ति को लागू भर्ती नियम के अनुसार, नियुक्त किया गया हो और उसमें ऐसा पशु चिकित्सा अधिकारी या विशेषज्ञ भी सम्मिलित होगा जो किसी प्रशासनिक पद पर पदोन्नति द्वारा या अन्यथा नियुक्त किया गया हो और जिसने बीस वर्ष से अन्यून पशु चिकित्सा अधिकारी या विशेषज्ञ के रूप में कार्य किया हो बशर्ते कि वह संबंधित छत्तीसगढ़ पशु चिकित्सा सेवा (राजपत्रित) में किसी पद पर धारणाधिकार रखता हो.

* *

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.